कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री सनी टेक्सकॉन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, मोदी नगर रोड, हापुड़ ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**004 / 14, 09.01.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री ए0 के0 अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री सनी टेक्सकॉन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, मोदी नगर रोड, हापुड द्वारा दिनांक 09.01.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा डुप्लेक्स बोर्ड, क्राफ्ट बोर्ड, ग्रे बोर्ड व स्ट्रा बोर्ड से निर्मित '' पेपर कोन '' पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री ए0 के0 अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि पेपर कोन की बिक्री पर कर की दर में भ्रान्ति है क्योंकि मुजफ्फरनगर की कुछ फर्में 12.5% की दर से कर दे रही हैं तथा इनका आदेश भी पारित हो रहा है जबकि प्रदेश की अधिकतर फर्में 4% की दर से कर दे रही हैं । यह भी कहा गया है कि डुप्लेक्स बोर्ड, क्राफ्ट बोर्ड, ग्रे बोर्ड व स्ट्रा बोर्ड पर कर की दर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% है । चूँकि पेपर कोन उपरोक्त वस्तुओं से निर्मित है फिर भी प्रदेश के अधिकतर व्यापारियों द्वारा 4% की दर से कर का भुगतान किया जा रहा है । अत: स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या-2844, दिनांक 15.02.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है पेपर कोन की बिक्री पर कर की दर के सम्बन्ध में कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष पहले से ही विवाद है । प्रार्थी फर्म को पेपर कोन की करदेयता के बिन्दु पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 29.10.2013 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है । व्यापारी द्वारा वर्ष 2010-11 के वाद में स्वयं स्व निर्मित पेपर कोन की बिक्री पर दिनांक 01.04.2010 से 18.10.2011 तक 5% की दर से तथा उसके पश्चात 13.5% की दर से पेपर कोन को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु मानते हुए कर स्वीकार किया गया है । तथ्यात्मक रूप से भी स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा निर्मित पेपर कोन पैकिंग मैटेरियल नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा निर्मित पेपर कोन यथावत धागा निर्माण करने वाली मिलों को बिक्री किया जाता है तथा उक्त धागा इसी कोन पर लपेट कर ही बिक्री किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में पेपर कोन धागे की बिक्री का इन्टीग्रल पार्ट बन जाता है जबकि पैकिंग मैटेरियल में वस्तु की बिक्री बिना उक्त पैकिंग मैटेरियल के ही की जा सकती है । पैकिंग मैटेरियल का मुख्य उद्देश्य बिक्री की गई वस्तु को सुरक्षित परिवहित करने हेतु एवं वस्तु के सुरक्षित रखरखाव से सम्बन्धित होता है । प्रश्नगत प्रकरण में पेपर कोन पैकिंग मैटेरियल की तरह प्रयोग न होकर के

....2

धागे के साथ ही बिक्री किया जाता है जिसका धागे को सुरक्षित रखने अथवा सुरक्षित परिवहन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी के उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही पेपर कोन की करदेयता के बिन्दु पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 29.10.2013 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है वह जारी कारण बताओ नोटिस के फलस्वरूप उत्पन्न हआ है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में निम्न व्यवस्था है :- '' No question which arises from an order already passed, in the case of applicant by any authority under this Act or the Tribunal, shall be entertained for determination under this section. '' स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में निर्धारित व्यवस्था से आच्छादित है जिसके कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में जिस प्रश्न का समाधान करने की अपेक्षा की गयी वह प्रश्न प्रार्थी को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.10.2013 के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। ऐसा प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में निहित प्राविधानों के अनुसार धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 मार्च, 2014

ह0 / 12.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।